संख्या-07/2018/344/84-1-2018-79/2017

प्रेषक,

वेद प्रकाश शर्मा,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊः दिनॉक: 27 मार्च, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपलबध प्रावधान से जीप वाहन क्रय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-127/निविमावि-लेखा 7(25)मॉग/2017-18, दिनॉक 15 मार्च, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधिक माप विज्ञान विभाग के लिये मै0 महेन्द्रा लि0 की बोलरो 03 जीप वाहनों SLE Power IV (डीजल) DGS&D के क्रय हेतु प्रति वाहन न्यूनतम दर रू0-6,15,941/- से श्री राज्यपाल महोदय उक्त 03 वाहनों के क्रय हेतु, ("एसेसरीज के व्यय को छोड़कर") रू0-18,47,823/- (रूपये अट्ठारह लाख सैंतालीस हजार आठ सौ तेईस मात्र) की शासकीय नियमो के तहत व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2- वाहनों के क्रय के संबंध में आने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-21 लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय की मानक मद-14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कार/मोटर गाडियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का अन्य मदों में व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्ध0शा0 पत्र सं0-ई-7-235/दस-2018, दिनांक 26.03.2018 में प्राप्त उनकी सहमत से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-07/2018/344(1)/84-1-2018-79/2017 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
8- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in